


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रकरण संख्या :- 365/2023 भागकंवर बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अ. धा. 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
05.09.24	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थिया श्री इकरार अली उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि राजस्व ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का बामलास तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 588 रकबा 2.32 है0 व भूमि खसरा नं. 589 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.29 है0 भूमि अवस्थित है जो प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का दिनांक 27.05.2023 को पटवारी हल्का बामलास से सीमाज्ञान करवाया है जिससे प्रार्थिया पूर्णतया संतुष्ट है। उक्त भूमि की सीमा चिन्ह के अनुसार प्रार्थिया पत्थरगडी करवाना चाहती है। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगडी करवाने में प्रार्थिया को कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p>बहस पत्रावली पर सुना जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का बामलास तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 588 रकबा 2.32 है0 व भूमि खसरा नं. 589 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.29 है0 अवस्थित है जो मुताबिक जमाबंदी प्रार्थिया की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड होना साबित है। प्रार्थिया उक्त भूमि का सीमाज्ञान संलग्न रिपोर्ट दिनांक 27.05.2023 के अनुसार ही पत्थरगडी करवाना चाहती है। चूंकि प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि पर सीमा चिन्ह कायम करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थिया न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। लिहाजा :-</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि ग्राम हुकमपुरा पटवार हल्का बामलास तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सरहद में हाल भूमि खसरा नं. 588 रकबा 2.32 है0 व भूमि खसरा नं. 589 रकबा 1.97 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 4.29 है0 भूमि के चारों ओर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.05.2023 के अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति में कब्जा काश्त का कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार पत्थरगडी करवायें। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (हवाई सिंह यादव) 5/9/24 उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.) </p>	